(76)

R.5213-II/15 सीधी

1. जमुना प्रसाद पिता गजाधर प्रसाद तिवारी,
2. शीतल प्रसाद पिता गजाधर प्रसाद तिवारी,

दोनो निवासी ग्राम– चुरहट, तह0– चुरहट, जिला– सीधी (म.प्र.)

—— आवेदक / निगरानीकर्तागण

बनाम

1. मुस0 रामवती पति स्व0 शान्तनु प्रसाद,
2. संतोष पाण्डेय पिता स्व0 शान्तनु प्रसाद,
3. गिरीश पाण्डेय पिता स्व0 शान्तनु प्रसाद,
4. प्रदीप पाण्डेय पिता स्व0 शान्तनु प्रसाद,
5. अमित पाण्डेय पिता स्व0 शान्तनु प्रसाद,
6. कालिन्दी पाण्डेय पिता स्व0 शान्तनु प्रसाद,

सभी निवासी ग्राम– चुरहट, तह0– चुरहट, जिला– सीधी (म.प्र.)

7. मुस0 दुअसिया साहू पत्नी स्व0 भरोसा साहू,
8. रामफल साहू पिता स्व0 भरोसा साहू,
9. रामशरण साहू पिता स्व0 भरोसा साहू,
10. शोभनाथ साहू पिता स्व0 भरोसा साहू,
11. मुस0 पारवती पति स्व0 मोहन साहू,
12. हीरावती पुत्री स्व0 मोहन साहू,
13. रामसजीवन तेली पिता ईश्वरदीन तेली,
14. छोटेलाल तेली पिता ईश्वरदीन तेली,
15. प्रदीप कुमार तिवारी पिता स्व0 हीरालाल तिवारी,
16. कृष्णकुमार तिवारी पिता स्व0 हीरालाल तिवारी,

सभी निवासी ग्राम– चुरहट, तह0– चुरहट, जिला– सीधी (म.प्र.)

—— अनावेदक / गैरनिगरानीकर्तागण

द्वितीय निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय सीधी ~~आयुक्त महोदय रीवा संभाग~~ रीवा के निगरानी प्रकरण क्रमांक– 16/निगरानी /2014–2015 में पारित आदेश दिनांक– 30.10.2015

अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

आवेदन पत्र/निगरानी के निम्न आधार हैः–

सूक्ष्म तथ्य

1. यह कि ग्राम– चुरहट, तहसील– चुरहट, जिला– सीधी की भूमि खसरा क्रमांक– 805, 806, 808 एवं 809 किता–4 योग रकवा 0.219 है0 में आवेदक का शिकमी कब्जा, दखल 25–30 वर्षों से होने से तथा लगान आदि जमा किये जाते रहने से भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त होने से तहसील– चुरहट में धारा– 109/110 भा0दं0वि0 के तहत आवेदन प्रस्तुत किये जानेपर विधिवत इश्तहार आदि प्रकाशित कर कार्यवाही की जाकर नामान्तरण आदेश जरिये प्रकरण क्रमांक– 33/अ–46/1991–92 द्वारा आदेश दिनांक– 24.08.1992 को आवेदक के पक्ष में स्वीकृत किया गया जिसकी अपील अनावेदकगणों ने उपखण्ड अधिकारी चुरहट, जिला– सीधी के न्यायालय में निा अनुमति आवेदन व बिना म्याद माफी आवेदन प्रस्तुत किये की गई लेकिन उपखण्ड अधिकारी चुरहट ने विधि विरूद्ध ढंग से उक्त अपील जरिये प्रकरण क्रमांक– 106/अपील/9394 द्वारा आदेश दिनांक– 31.03.1997 को अपील स्वीकार कर पुनः तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित कर दिया तब निगरानीकर्ता ने उक्त आदेश दिनांक– 31.03.1997 की निगरानी अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त महोदय रीवा, जिला– रीवा के न्यायालय में की लेकिन आयुक्त महोदय का निगरानी सुनवाई का अधिकार कलेक्टर को प्रदान कर दिये जाने से उक्त निगरानी को अपर कलेक्टर सीधी द्वारा सुनवाई की जाकर प्रकरण कमांक– 16/निगरानी/2014–15 द्वारा दिनांक– 30.10.2015 को तहसील न्यायालय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5213–दो/2015 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–8–2016	आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 16/निगरानी/14–15 में पारित आदेश दिनांक 30–10–2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि पर कब्जा वर्ष 1980–81 से 1988–89 तक अंकित होना मानकर संहिता की धारा 190/110 के तहत नामांतरण स्वीकार किया। जिसके विरूद्ध अपील किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने यह तथ्य स्पष्ट किया कि आराजी खसरा कमांक 805 के भूमिस्वी भागीरथ्झी है जो पूर्व में मर चुकी है। इसी तरह मुस0 बड़की फौत हो चुकी है जिन्हें प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है और सूचना पत्र भी तामील कराये गये हैं, जबकि वह फौत है। इससे स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय की कार्यवाही त्रुटिपूर्ण थी जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है। मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है, इसी कारण	

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है। अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधि प्रकिया के अनुकूल होने से स्थिर रखा है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होने से यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य